**संख्या:30/2026/506/35-4-2026/35-4002(003)/10/2026**

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्तसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-बहराइचमें निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों कीरू. **4150.81** लाख (रूपये **इकतालीस करोड़ पचास लाख इक्यासी हज़ार**मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.**1991.00** लाख (रूपये **उन्नीस करोड़ इक्यानबे लाख**मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

| क्र0 | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी0 में) | अनुमोदित लागत | अवमुक्त धनराशि | कार्यदायी संस्था |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पी0बी0बी0 मार्ग (आसाम रोड) पर रेलवे ओवर ब्रिज से सुजातपुर उंचवापुरैनी होते हुए कटिलिया भूपसिंह सम्पर्क मार्ग पर नौव्वागांव तक पक्की सड़क नव निर्माण का कार्य। | 3.7 | 262.81 | 126.00 | लो0नि0वि0 |
| 2. | विकास खण्ड नवाबगंज में ग्राम पंचायत जलालपुर के राजापुर पेंटिंग मार्ग से शिवपुर सेमरा के शिवपुरा गांव तक लेपन कार्य व लघु सेतु का निर्माण कार्य। | 2.15 | 191.65 | 92.00 | लो0नि0वि0 |
| 3. | ग्राम पंचायत बल्दीपुरवा के मजरा जवाहरपुरवा से फल्लीपुरवा, लोनियनपुरवा, साईपुरवा होते हुए पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड तक पक्की सड़क का नव निर्माण कार्य, वि0ख0-चित्तौरा | 2.45 | 187.87 | 90.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 4. | ग्राम पंचायत धर्मनपुर में इटहा रोड से धर्मनपुर-कुर्मिनपुरवा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य। वि0ख0-चित्तौरा | 0.83 | 60.31 | 29.00 | ग्रा0अभि0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ग्राम पंचायत धर्मनपुर में पंडितपुरवा भोगाजोत सम्पर्क मार्ग से चाइनपुरवा पक्की रोड तक लेपन कार्य, वि0ख0-चित्तौरा | 0.62 | 33.82 | 16.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 6. | ग्राम पंचायत मोहरबा के मजरा दर्जीपुरवा में शंकरपुरवा बदला डामर रोड से जोकहा सलारपुर होते हुए मदारागढ़ी नहर पुल तक पक्की सड़क का नव निर्माण कार्य, वि0ख0-चित्तौरा | 1.53 | 112.37 | 54.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 7. | वि०ख०हुजूरपुर के कैसरगंज मार्ग से गंगहरिया पुल से भतेश्वरनाथ मंदिर बाबा सरयूघाट निवासी मार्ग पर लेपन कार्य। | 1.35 | 101.16 | 49.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 8. | वि0ख0 तेजवापुर ग्रा0पं0 नेवादा में रामगांव-तमाचपुर रोड से तेलिनपुरवा तक पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। | 1.175 | 102.81 | 49.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 9. | **तहसील कैसरगंज में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु सम्मिलित कक्ष सहित हॉल का निर्माण कार्य।** | **1 अदद** | **88.3** | **42.00** | ग्रा0अभि0वि0 |
| 10. | वि0ख0 पयागपुर अन्तर्गत राजापुरकलां से कोरिनपुरवा तक पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.84 | 56.71 | 27.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 11. | वि0ख0 चित्तौरा ग्रा0पं0 मोहम्मद नगर में नानपारा बहराइच मार्ग से प्रा0वि0 बिसवरिया तक पैंटिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.65 | 45.59 | 22.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 12. | नगर पंचायत कैसरगंज के वार्ड नं0-06 राजा नौगोइयां में आरोग्य केंद्र से वार्ड नं0-05 शाहनपुरवा में अब्दुल सलीम के घर के पास तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.58 | 34.32 | 16.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 13. | वि0ख0 पयागपुर के ग्राम राजापुरकलां में टेपरा से पाण्डेपुरवा तक पैंटिग रोड का निर्माण कार्य। | 0.83 | 54.5 | 26.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 14. | वि0ख0 कैसरगंज में बरखुरद्वारापुर बदरौली सम्पर्क मार्ग पर ग्राम पंचायत कडसर बिटौरा में बलदी तालाब के पास से छोटीपुरवा होते हुए ग्राम अब्दुला बेहड की ओर पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.93 | 55.26 | 27.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 15. | वि0ख0 चित्तौरा अन्तर्गत ग्राम अजातापुर से साईंदाता कुट्टी की ओर पैंटिग रोड निर्माण कार्य। | 0.76 | 53.21 | 26.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 16. | **तहसील पयागपुर परिसर मे अधिवक्ताओं के बैठने हेतु चैम्बर (हाल) का निमार्ण कार्य, (वि0ख0-पयागपुर)** | **1 अदद** | **92.81** | **45.00** | ग्रा0अभि0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | ग्राम पंचायत इटहुवा मे भेठिया सुतौली सम्पर्क मार्ग से पू0मा0वि0 होते हुए रामू सिंह प्रधान के घर के पास खजुहा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य, (वि0ख0-कैसरगंज) | 0.65 | 35.99 | 17.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 18. | ग्राम पंचयात बौव्वा मे बहराइच-हुजूरपुर सम्पर्क मार्ग से सुधीर शुक्ला के घर तथा ब्रम्हचारी बाबा स्थान से राम सुघर शुक्ला के घर की तरफ इण्टरलॉकिंग निमार्ण कार्य (वि0ख0-हुजूरपुर) | 0.51 | 27.69 | 13.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 19. | ग्रा०पं० निगोह के आन्तरित गलियों मे निगोह-खानपुर सम्पर्क मार्ग से के०एन०उपाध्याय के घर होते हुए शंकराचार्य उपाध्याय के घर तक एवं राज कुमार तिवारी, राम कुमार तिवारी, गणेशदत्त तिवारी, धनश्याम तिवारी एवं शिव कुमार तिवारी के घर होते हुए त्रिलोकी नाथ तिवारी के घर के पास तक इण्टरलॉकिंग निमार्ण कार्य (वि०ख०-विशेश्वरगंज) | 0.505 | 25.95 | 12.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 20. | ग्राम पंचायत चरनिया कोट मे काली रोड दिलीप गुप्ता के घर से काली माता मन्दिर,नन्द कुमार वर्मा,आदित्य राम चौहान,राकेश मिश्र,संजय मिश्रा के घर होते हुए पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य (वि0ख0-विशेश्वरगंज) | 0.5 | 24.36 | 12.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 21. | ग्राम सोहरियावां के आन्तरिक गलियो मे शुभम शुक्ला के घर के कृष्ण चन्द्र तिवारी गोपाल जी तिवारी काली माता मन्दिर होते हुए सुशील कुमार तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग निामार्ण कार्य (वि0ख0-पयागपुर) | 0.6 | 31.36 | 15.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 22. | ग्राम पंचायत नेठिया मे बभनपुरवा सम्पर्क मार्ग से श्री चन्द्र शुक्ला के घर होते हुए शिवम तिवारी के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य (वि0ख0-विशेश्वरगंज) | 0.5 | 25.98 | 12.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 23. | ग्राम पंचायत शाहपुर मे पक्की सड़क से सर्वजीत सिंह के घर होते हुए देवी बक्श सिंह के घर की तरफ इण्टरलॉकिंग निमार्ण कार्य, (वि0ख0-हुजूरपुर) | 0.52 | 28.29 | 14.00 | ग्रा0अभि0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | ग्राम पंचायत जैसौरा के मजरा रघुरामपुर के आन्तरिक गलियों मे काली रोड से विजय राज तिवारी, राजेश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, सन्तोष मिश्र के घर होते हुए पिन्टू कश्यप के घर तक, राम रूप तिवारी के घर से बलराम तिवारी के घर तक,जनकराज पासवान के घर से कन्धई विश्वकर्मा के घर तक एवं भन्नू पासवान के घर से विजय राम तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य (वि0ख0-विशेश्वरगंज) | 0.84 | 37.23 | 18.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 25. | ग्राम पंचायत ऐलो के मजरा बैशनपुरवा (प्रधानपुरवा) मे इण्टरलॉकिंग से धर्मे वर्मा, छविलाल गौतम, अरूण कुमार सिंह, शिव बहादुर सिंह के घर होते हुए अभय बहादुर सिंह के घर के आगे की तरफ इण्टरलॉकिंग निमार्ण कार्य, (वि0ख0-पयागपुर) | 0.5 | 30.29 | 15.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 26. | ग्राम पंचायत लखाही पुतलीतारा में दद्दन गोस्वामी के घर से नहर पुल तक इण्टरलॉकिंग निमार्ण कार्य (वि0ख0-पयागपुर) | 0.75 | 42.58 | 20.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 27. | ग्राम पंचायत विशुनपुर टेड़ी मे इण्टरलॉकिंग से अशोक तिवारी के खेत होते हुए कुंज बाबा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग निमार्ण कार्य, (वि0ख0-हुजूरपुर) | 0.502 | 28.19 | 14.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 28. | ग्राम पंचायत धर्मपुर के मजरा अहिरनपुरवा मे बूथ अध्यक्ष रूपेन्द्र मौर्या के घर होते हुए ब्रह्मचारी स्थान के पास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य, (वि0ख0-हुजूरपुर) | 0.55 | 38.19 | 18.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 29. | ग्राम पंचायत पुरैना बाजार मे इकौना-विशेश्वरगंज सम्पर्क मार्ग से नहर पटरी होते बी0पैक्स पुरैना समिति तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य, (वि0ख0-विशेश्वरगंज) | 0.52 | 35.18 | 17.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 30. | ग्राम पंचायत बभनौटी शंकरपुर में पी0डब्लू0डी0 रोड से केला गाँव तक डामर रोड निर्माण कार्य। | 1.8 | 163.02 | 78.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 31. | ग्राम पंचायत थैलिया मरकन्दा सम्पर्क मार्ग पर नन्दा गुलरी मोड़ से सीतापुरवा तक डामर रोड निर्माण कार्य। | 1.8 | 157.04 | 75.00 | ग्रा0अभि0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | भैरी संगवा सम्पर्क मार्ग से सरसठ बैटौरा रोड से मेवालालपुरवा, बाबादीनपुरवा होते हुए कामतापुरवा तक डामर रोड निर्माण कार्य। | 0.85 | 72.37 | 35.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 33. | खैरा कोदही सम्पर्क मार्ग से डोकरी डगरहनपुरवा होते हुए तिंगाई सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड निर्माण कार्य। | 1.17 | 101.72 | 49.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 34. | मोहल्ला सरस्वतीनगर में लखनऊ-बहराइच मार्ग से इन्द्रजीत वर्मा श्रीकेशन के घर व आरोग्य मंदिर की तरफ होते हुए शेखदहीर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण (नगर क्षेत्र) | 1.05 | 93.6 | 45.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 35. | मोहल्ला ढपालीपुरवा में बालकिशुन बाजपेई के मकान से राहुल जायसवाल के मकान होते हुए नानपारा बाईपास मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य, (नगर क्षेत्र)। | 0.55 | 41.6 | 20.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 36. | ग्राम पंचायत शेख दहीर के मजरा देवीबंगरापुरवा से त्रिवेणी पुरवा तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य (नगर क्षेत्र)। | 0.5 | 30.44 | 15.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 37. | ग्राम पंचायत गोड़रिया के मजरा गौशाली पुरवा से नगेश्वरपुरवा होते हुए खुटेहना सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड़ निर्माण कार्य वि0ख0-हुजूरपुर। | 0.75 | 43.71 | 21.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 38. | ग्राम पंचायत भम्भरपुर मे रत्तापुर प्रेमदास कुटटी सम्पर्क मार्ग से पंचायत भवन होते हुए रामपाल वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य वि0ख0-हुजूरपुर। | 0.6 | 35.09 | 17.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 39. | ग्राम पंचायत सरसा में कटेल सम्पर्क मार्ग से रेवली की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।वि0ख0-पयागपुर। | 0.5 | 41.48 | 20.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 40. | ग्राम पंचायत रायडीह में पिचरोड से सहदेईपुरवा की तरफ इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। वि0ख0- पयागपुर। | 0.75 | 66.92 | 32.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 41. | ग्राम पंचायत सतपेडिया में रमवापुर सम्पर्क मार्ग से मजरा धोबिनपुरवा की तरफ इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। वि0ख0- पयागपुर। | 0.77 | 52.18 | 25.00 | ग्रा0अभि0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. | ग्राम पंचायत चंदवापुर में सतपेडिया पक्की रोड से मजरा लोयिननपुरवा की तरफ इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.69 | 44.24 | 21.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 43. | ग्राम पंचायत इमलियागंज में फरदा पयागपुर सम्पर्क मार्ग से मजरा ईश्वरीपुरवा में फौजप्रताप सिंह के घर की तरफ इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.6 | 44.82 | 22.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 44. | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं0 12 के टेपरा में राकेश लोधी के घर से वोटनपुरवा में छोटी मंदिर (नीम के पेड) तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.8 | 57.99 | 28.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 45. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत राजपुर कतर्नियापुरवा में कुडवा तालाब (पिच रोड) से प्रमोद विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.55 | 36.38 | 17.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 46. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत राजपुर कतर्नियापुरवा में खैरी पिच रोड से सुदर्शन के घर से सकटू के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.7 | 46.16 | 22.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 47. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत गंगापुर में कमलेश मौर्या के घर से काली डामर रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.6 | 39.74 | 19.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 48. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत गंगापुर में रामानन्द के घर से ब्रिजलाल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.8 | 52.51 | 25.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 49. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत बरखडिया में ढोढेपुरवा डा0 वीरबहादुर के घर के पास से मालीबाबा के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.5 | 33.59 | 16.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 50. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम सभाकुडवा के जयरामपुरवा में छबिलाल के घर से श्यामता के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.5 | 36.22 | 17.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 51. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम सभाकुडवा के जयरामपुरवा में जाहिर के घर से रामहर्ष के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 0.5 | 35.18 | 17.00 | ग्रा0अभि0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के कुडवा में वीरचन्द के खेत से गन्ना कोल्हू तक पक्की सडक नव निर्माण कार्य। | 0.5 | 48.29 | 23.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 53. | विकास खण्ड मिहींपुरवा के बरखडिया के मदनिया काली रोड से उस्मान के खेत होते हुए तेलियनपुरवा ओमप्रकाश यादव के घर तक रोड निर्माण कार्य। | 1.06 | 104.79 | 50.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 54. | ग्रामसभा चहलार से इमामगंज बेहडा सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण लेपन कार्य, वि0ख0-शिवपुर | 2.094 | 200.49 | 96.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 55. | ग्रामसभा ककरहा बोधवा मे बोधवा सम्पर्क मार्ग से गढीघाट सम्पर्क मार्ग तक रोड निर्माण लेपन कार्य व पुलिया निर्माण कार्य, वि0ख0-बलहा | 0.687 | 115.65 | 56.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 56. | ग्रामसभा असवा मोहम्मदपुर के मजरा रिख्खीरामपुरवा काली रोड से पुजारीपुरवा जूडा सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण लेपन कार्य वि0ख0-शिवपुर। | 1.983 | 178.83 | 86.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 57. | विकास खण्ड चित्तौरा के ग्राम सोहरवा से बडेहरा बाग ग्राम शहनवाजपुर तक डामर रोड का निर्माण कार्य । | 1.2 | 102.23 | 49.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 58. | ग्राम पंचायत रेवली गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से मरौठी सम्पर्क मार्ग तक पेन्टेड रोड निर्माण कार्य, वि0ख0-कैसरगंज | 0.86 | 45.48 | 22.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| 59. | ग्राम पंचायत बगहिया में कैसरगंज मंगल मेला सम्पर्क मार्ग से दासपुरवा तक पेन्टेड रोड निर्माण कार्य, वि0ख0-कैसरगंज | 1.6 | 84.27 | 40.00 | ग्रा0अभि0वि0 |
| | **कुल योग** | **53.16** | **4150.81** | **1991.00** | |

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक-9 एवं 16 पर अंकित कार्यों पर होने वाले व्यय **रु 87.00** लाख (रू० सत्तासी लाख मात्र) पर होने वाले व्यय को लेखाशीर्षक- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0303- अधिवक्ताओं के चेम्बरर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य तथा शेष कार्यों पर होने वाले व्यय **रु 1904.00** लाख (रू० उन्नीस करोड़ चार लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माणकार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

**संख्या: 30/2026/506(1)/35-4-2026/35-4002(003)/10/2026, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग,ग्रा0अभि0वि0,बहराइच।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।